<u>प्रेस नोट</u>

<u>जनपद अंबेडकरनगर</u>

<u>थाना को0 टाण्डा</u>

<u>दिनांक 23.05.2025</u>

<u>जनपद अम्बेडकरनगर थाना को0 टाण्डा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 22.05.2025 को एक युवती को धारदार हथियार (दाढ़ी बनाने वाले उस्तरे) से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी युवक द्वारा पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में मुठभेड़ दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।</u>

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.05.2025 को रात्रि 08:15 पर थाना को0 टाण्डा पर सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा टाण्डा में एक युवक द्वारा एक युवती को दाढ़ी बनाने वाले उस्तरे से हाथ पर तथा गर्दन की साइड पर जान से मारने की नियत से वार कर दिया है जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है।

सूचना प्राप्त होने पर थाना अध्यक्ष टांडा व थाना अध्यक्ष अलीगंज तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। प्राथमिक जांच में पता चला कि असगर उर्फ अदीब का मजरुबा लड़की की सहेली से प्रेम प्रसंग था मजरुबा लड़की अपनी सहेली से असगर उर्फ अदीब से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न रखने के लिए कहती थी। इस बात से नाराज होकर आरोपी असगर उर्फ अदीब ने लड़की के अपने काम से वापस लौटते समय छज्जापुर उत्तरी गली में दाढ़ी बनाने वाले उस्तरे से गले के बाएं तरफ व दाहिने हाथ की कलाई के उपर जान मारने की नियत से हमला कर दिया । जिससे लड़की गम्भीर रुप से घायल हो गई ।जिसे आसपास के लोगों द्वारा घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी टाण्डा ले जाया गया ।जहाँ मौजूद चिकित्सको द्वारा उच्च उपचार हेतु मजरुबा को सद्दरपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया । प्राणघातक हमला करने के उपरान्त अभियुक्त असगर उर्फ अदीब को आसपास के लोगो के द्वारा पकड़ लिया गया और काफी मारा पीटा गया जिससे अभियुक्त को काफी चोटें आयीं। कोतवाली क्षेत्र में भ्रमणशील पुलिस बल द्वारा जनता के गुस्से से अभियुक्त को बचाते हुए प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी टाण्डा भर्ती कराया गया । जहां से चिकित्सको द्वारा अभियुक्त को पुलिस निगरानी में जिला अस्पताल भेजा दिया गया । मजरुबा जिस कॉपी किताब की दुकान में काम करती थी उसके मालिक द्वारा घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दी गई लिखित तहरीर के आधार पर तत्काल मु0अ0सं0 154/25 धारा 109(1) BNS बनाम असगर उर्फ अदीब पुत्र सालिकिन निवासी गख्खासराय (राजघाट) छज्जापुर थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर के विरुध्द पंजीकृत किया गया ।

रात्रि में जिला चिकित्सालय से अभियुक्त को उपचार करने के उपरान्त डिस्चार्ज कर दिया गया ।सुरक्षा में लगे कर्मचारीगण द्वारा अभियुक्त को पुलिस निगरानी में थाना टाण्डा लाया गया । जहाँ पर नियमानुसार अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया ।

पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार (एक अदद दाढ़ी बनाने वाले उस्तरे) को बरामद कर फर्द तैयार की गई चूँकि अभियुक्त को जनता द्वारा मारा पीटा गया था तथा गिरफ्तारी के उपरान्त चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना आवश्यक था। और मामला दो समुदायों का होने से क्षेत्र में लोगों में काफी आक्रोश होने के कारण प्रभारी निरीक्षक टाण्डा दीपक सिंह रघुवंशी द्वारा स्वयं अपने हमराहियों के साथ चिकित्सीय परीक्षण हेतु अभियुक्त को सीएचसी टाण्डा ले जाया जा रहा था कि रास्ते में मोजनपुर रेलवे क्रासिंग से पहले अभियुक्त बार बार पेशाब करने की याचना करने लगा जिसपर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अभियुक्त को गाड़ी से नीचे उतारकर का0 चमन सिंह द्वारा पेशाब कराया जाने लगा। इसी बीच अभियुक्त ने का0 चमन सिंह को धक्का देकर उनकी इंसास राइफल छीन ली और भागने लगा जिसपर पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण हेतु कहा गया। किन्तु अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से दो राउंड फायर किया गया। जिससे पुलिस बल बाल-बाल बचे। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जबावी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी जिससे घायल होकर रेलवे पटरी के पास गिर गया जिसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। तथा लूटी हुई इंसास राइफल व दो खोखा कारतूत (इंसास राइफल के) व एक अदद खोखा कारतूस 9 एमएम का बरामद किया गया। मौके से ही प्राथमिक उपचार हेतु अभियुक्त को थाने की सेकंड मोबाइल से सीएचसी टाण्डा भेजा गया। जहाँ से अभियुक्त को जिला अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर में इलाजरत है।

अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर उनके हथियार छीनकर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। इस सम्बन्ध में फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 155/25 धारा 309(6),317(2),109(1),262 बीएनएस पंजीकृत किया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम-</u> असगर उर्फ अदीब (उम्र करीब 22 वर्ष) पुत्र सालिकिन निवासी गख्खासराय (राजघाट) छज्जापुर थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर।

<u>विवरण पुलिस टीम (थाना को0 टाण्डा)-</u>

01.प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह थाना को0 टाण्डा

02.मु0आ0 दिनेश चन्द्र मौर्या

03. का0 हर्षगोविन्द यादव

04.का0 चमन सिंह

05.का0 सरफराज अली